न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुंकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 97/23

GCMS id : 2023 /172

कौशल्या पुत्री बिरधीलाल पत्नी पन्नालाल जाति धाकड़, निवासी राजपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री रघुवीर सिंह राठौड़, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 18.07.2025

1- वादिनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादिनी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम राजपुरा तहसील लाडत्रपुरा जिला कोटा में हाल सेटलमेन्ट संवत् 2038–57 से पूर्व संवत् 2034–37 मे साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित थी जो वादिनी एवं उनकी माता धन्नी बेवा बिरधीलाल के बराबर–बराबर खाते मे दर्ज रिकॉर्ड थी वादिनी की माता धन्नी बेवा बिरधीलाल की मृत्यु हो चुकी है जिस पर वादिनी बहैसियत मालिक निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान मे भी काबिज काश्त है।

~ हाल सेटलमेन्ट संवत् 2038–57 के दौरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कायम किया जो गत रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा (3.32 हैक्टर के बराबर) के मुकाबले अवैध एवं गैर कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार से परे जाकर 3.10 हैक्टर दर्ज कर 0.22 हैक्टर रकबा कम दर्ज कर दिया तथा उसी अनुरूप नक्शा ट्रेस में भी परिवर्तन कर राजस्व अभिलेख के नक्शे मे भी रकबा नाप मे कम दर्ज कर दिया एवं साबिक खसरा नम्बर 417 का हाल मिलान क्षेत्रफल मे नया नम्बर अंकित नही किया जबकि वादिनी पूर्वानुसार मौके पर 3.32 हैक्टर भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है।

सेटलमेन्ट विभाग ने दौराने सेटलमेन्ट वादिनी के कब्जे काश्त की साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 51, खसरा नम्बर 471, खसरा नम्बर 220/629 कायम हुये है का रकबा व नक्शा ट्रेस पूर्वानुसार साबिक रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा (3.32 हैक्टर के बराबर) के अनुसार 3.32 हैक्टर कायम कर उसी अनुरूप नक्शा ट्रेस का नाप कायम करना चाहिये था किंतु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अवैध एवं गैर कानूनी रूप से सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही मनमाने तौर पर अपने क्षेत्राधिकारी से परे जाकर उक्त राजस्व रेकॉर्ड व

राजस्व नक्शे में परिवर्तन कर 0.22 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादिनी के खाते की उक्त भूमि का रकबा सरकारी सिवायचक भमि मे अवैध एवं गैर कानूनी रूप से बढ़ा दिया। सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही था। वादिनी अपनें खाते कब्जे काश्त की भूनि खसरा नम्बर 51, खसरा नम्बर 471 एवं खसरा नम्बर 220/629 क कमी रकबा 0.22 हैक्टर व नक्शे में नाप मे कमी रकबे की पूर्ति एवं उसी अनुरूप नक्शा दुरूस्ती करवाकर नाप कायम करवाने की अधिकारी है।

~ वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसर नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा के हाल सेटलमेन्ट संवत् 2038-57 के दौरान कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कायम किया जो गत रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा (3.32 हैक्टर के बराबर) के मुकाबले 0. 22 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया है जिसकी पूर्ति एवं उसी अनुरूप नक्शा दुरूस्ती की घोषणा करवाकर माननीय न्यायालय की सहायता से कमी रकबे की पूर्ति एवं नक्शा दुरूस्ती करवने की विधिक अधिकारी है।

~ अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष मे इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि- ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे वादिनी के खाते एवं कब्जे की साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 6 बीघा 16 बिस्वा, एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा आराजी (3.32 हैक्टर के बराबर) जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कायम किया है मे गत रकबे के मुकाबले कमी रकबा 0.22 हैक्टर की पूर्ति सिवायचक भूमि मे हाल सेटलमेन्ट के दौरान बढे रकबे से किये जाने की घोषणा कर तद्नुसार दुरूस्ती करते हुये वादिनी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0. 39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1. 18 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.32 हैक्टर के नाप के बराबर भूमि से बेदखल नही करे, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे न अपने प्रतिनिधि से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो आवश्यक हो वादिनी को प्रदान फरमाई जावे।

वादिनी ने विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये -

प्रदर्श-1	नकल जमाबंदी संवत् 2073-76 ग्राम राजपुरा तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श-2	नकल जमाबंदी संवत् 2038-57 ग्राम राजपुरा तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श-3A	पर्चा नोटिस भू-प्रबंध की फोटोप्रति
प्रदर्श-4	नकल नक्शा आंशिक ग्राम राजपुरा।
प्रदर्श-5	नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम राजपुरा तहसील लाड़पुरा।
प्रदर्श-6	नकल आवेदन पत्र
प्रदर्श-7	नकल जमाबंदी संवत् 2034-37 ग्राम राजपुरा तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श-8	नकल नक्शा संवत् 2013-14 ग्राम राजपुरा तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श-9	लीगल नोटिस दिनांक 12.07.2023
प्रदर्श-10	डाक रशीद दिनांक 12.07.2023

3- प्रकरण मे प्रतिवादी सरकार की ओर से निम्न जबाव दावा पेश कर निवेदन किया गया-

- ❖ सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबंदी संवत् 2034-37 की खाता संख्या 10 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि कौशल्या पुत्री बिरधीलाल तथा धन्नी बेवा बिरधीलाल जाति धाकड़ सा दे हके खाते दर्ज थी। जिसके मैट्रिक प्रणाली मे 3.32 हैक्टर दर्ज होने से मुकाबले 3.10 हैक्टर दर्ज होने से 0.22 हैक्टर भूमि की रकबा कमी हो गयी।
- ❖ सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबंदी संवत् 2034-37 की खाता संख्या 10 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बीघा कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि कौशल्या पुत्री बिरधीलाल तथा धन्नी बेवा बिरधीलाल जाति धाकड़ सा. देह के खाते दर्ज थी।

जिसकी मैट्रिक प्रणाली मे 3.32 हैक्टर भूमि बनती है इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के 3.32 हैक्टर के मुकाबले 3.10 हैक्टर दर्ज होने से 0.22 हैक्टर रकबा कमी हो गयी।

- सेटलमेन्ट पूर्व जमाबंदी संवत् 2034–37 की खाता संख्या 10 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि कौशल्या पुत्री बिरधीलाल, धन्नी बेवा बिरधीलाल जाति धाकड़ सा. दे के खाते दर्ज थी। जिससे मैट्रिक प्रणाली मे 3.32 हैक्टर के मुकाबले 3.10 हैक्टर दर्ज होने से 0.22 हैक्टर भूमि की रकबा कमी हो गयी।
- सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबंदी संवत् 2034–37 की खाता संख्या 10 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बीघा किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि कौशल्या पुत्री बिरधीलाल तथा धन्नी बेवा बिरधीलाल जाति धाकड़ सा. देह के खाते दर्ज थी। सेटलमेन्ट के पश्चात् उपरोक्त आराजी के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर दर्ज होने से 0.22 हैक्टर भूमि की रकबा कमी हो गयी। उपरोक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 471 रकबे मे कमी हुई है।
- सेटलमेन्ट के पश्चात् कायम किये गऐ प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 471 के आसपास के खसरा नम्बर के लगभग स्थित अन्य खसरा नम्बर का गत खसरा नम्बर निम्न तालिका अनुसार तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

हाल खसरा नम्बर	रकबा	गत खसरा नम्बर	रकबा	वि.वि. (रकबे की कमी बेशी)
783/464 782/464	1.3250	418	12 बीघा 9 बिस्वा	सेटलमेन्ट से पूर्व खाते दर्ज रकबे से वर्तमान रकबे मे कमी
	1.3250	416	4 बीघा 11 बिस्वा	
463	0.46	413	24 बीघा 5 बिस्वा	सेटलमेन्ट से पूर्व खाते दर्ज रकबे से वर्तमान रकबे मे कमी
476	3.19	413 मिन	24 बीघा 5 बिस्वा	
475	0.06	413 मिन	24 बीघा 5 बिस्वा	
472	0.11	412 मिन	1 बीघा 1 बिस्वा	सेटलमेन्ट से पूर्व खाते दर्ज रकबे से वर्तमान रकबे मे 0.022 हैक्टर की बेशी
474	0.08	412 मिन	1 बीघा 1 बिस्वा	
473	0.20	410 मिन	13 बीघा 1 बिस्वा	सेटलमेन्ट से पूर्व खाते दर्ज रकबे से वर्तमान रकबे मे कमी
470	1.30	410 मिन	13 बीघा 1 बिस्वा	

3- दौराने वाद, प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये :–

(1) आया वादिनी के खाते की आराजी का रकबा गत रकबे के मुकाबले 0.22 हैक्टर कम दर्ज किया गया है। – (वादी)

(2) आया वादिनी, प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। –(वादी)

(3) अनुतोष?

5- *प्रकरण मे वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई –*

~ ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे हाल सेटलमेन्ट संवत् 2038-57 से पूर्व संवत् 2034-37 मे साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित थी जो वादिनी एवं उनकी माता धन्नी बेवा बिरधीलाल के बराबर-बराबर खाते मे दर्ज रिकॉर्ड थी वादिनी की माता धन्नी बेवा बिरधीलाल की मृत्यु हो चुकी है जिस पर वादिनी बहैसियत मालिक निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान मे भी काबिज काश्त है।

~ हाल सेटलमेन्ट संवत् 2038-57 के दौरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कायम किया, जो गत रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा (3.32 हैक्टर के बराबर) के मुकाबले अवैध एवं गैर कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार से परे जाकर 3.10 हैक्टर दर्ज कर 0.22 हैक्टर रकबा कम दर्ज कर दिया तथा उसी अनुरूप नक्शा ट्रेस में भी परिवर्तन कर राजस्व अभिलेख के नक्शे मे भी रकबा नाप मे कम दर्ज कर दिया एवं साबिक खसरा नम्बर 417 का हाल मिलान क्षेत्रफल मे नया नम्बर अंकित नही किया जबकि वादिनी पूर्वानुसार मौके पर 3.32 हैक्टर भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है।

~ सेटलमेन्ट विभाग ने दौराने सेटलमेन्ट वादिनी के कब्जे काश्त की साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 51, खसरा नम्बर 471, खसरा नम्बर 220/629 कायम हुये है का रकबा व नक्शा ट्रेस पूर्वानुसार साबिक रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा (3.32 हैक्टर के बराबर) के अनुसार 3.32 हैक्टर कायम कर उसी अनुरूप नक्शा ट्रेस का नाप कायम करना चाहिये था किंतु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अवैध एवं गैर कानूनी रूप से सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही मनमाने तौर पर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त राजस्व रेकॉर्ड व राजस्व नक्शे में परिवर्तन कर 0.22 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादिनी के खाते की उक्त भूमि का रकबा सरकारी सिवायचक भमि मे अवैध एवं गैर कानूनी रूप से वढ़ा दिया। सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही था। वादिनी अपने खाते कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 51, खसरा नम्बर 471 एवं खसरा नम्बर 220/629 क कमी रकबा 0.22 हैक्टर व नक्शे में नाप मे कमी रकबे की पूर्ति एवं उसी अनुरूप नक्शा दुरूस्ती करवाकर नाप कायम करवाने की अधिकारी है।

~ वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसर नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा के हाल सेटलमेन्ट संवत् 2038-57 के दौरान कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कायम किया जो गत रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा (3.32 हैक्टर के वरावर) के मुकावले 0.22 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया है जिसकी पूर्ति एवं उसी अनुरूप नक्शा दुरूस्ती की घोषणा करवाकर माननीय न्यायालय की सहायता से कमी रकबे की पूर्ति एवं नक्शा दुरूस्ती करवने की विधिक अधिकारी है।

~ अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष मे इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि– ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे वादिनी के खाते एवं कब्जे की साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 6 बीघा 16 बिस्वा, एवं खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा आराजी (3.32 हैक्टर के बराबर) जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कायम किया है मे गत रकबे के मुकाबले कमी रकबा 0.22 हैक्टर की पूर्ति सिवायचक

Jagdish.Sarkar

भूमि मे हाल सेटलमेन्ट के दौरान बढे रकबे से किये जाने की घोषणा कर तदनुसार दुरूस्ती करते हुये वादिनी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.32 हैक्टर के नाप के बराबर भूमि से बेदखल नही करे, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे न अपने प्रतिनिधि से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो आवश्यक हो वादिनी को प्रदान फरमाई जावे।

6- प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(1) आया वादिनी के खाते की आराजी का रकबा गत रकबे के मुकाबले 0.22 हैक्टर कम दर्ज किया गया है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।

- जमाबंदी संवत् 2034–37 प्रदर्श–7 का अवलोकन अध्ययन करने पर स्पष्ट है। खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा वादिनी कौशल्या पुत्री बिरधीलाल, धन्नी बेवा बिरधीलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम राजपुरा तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 हैक्टर कौशल्या पुत्री बिरधीबाई के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। सेटलमेन्ट पूर्व एवं वर्तमान रकबे के अनुसार कुल 0.22 हैक्टर की कमी हुई है। अतः यह तनकी वादिनी के पक्ष मे तय की जाती है।

(2) आया वादिनी, प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- प्रदर्श 1 से स्पष्ट है वादिनी के खाते मे खसरा नम्बर 471 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 220/629 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 0.39 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.10 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। परंतु वादिनी द्वारा अपने कम हुये रकबे की पूर्ति करते हुये कुल रकबा 3.32 हैक्टर पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अतः वादिनी अपने पक्ष मे स्थायी निषेधाज्ञा कुल रकबा 3.32 हैक्टर पर प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अतः यह तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

(3) *अनुतोष*

- वादिनी द्वारा सेटलमेन्ट पूर्व रकबा अनुसार अपने कम हुये 0.22 हैक्टर की पूर्ति हेतु की पूर्ति हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89,188 के तहत दावा पेश कर अनुतोष चाहा गया है।
- परंतु पत्रावली का अवलोकन एवं उपलब्द्ध दस्तावेजो के अध्ययन से स्पष्ट है वादिनी द्वारा इस संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया कि वादिनी के कम हुये रकबे की पूर्ति कौनसे खसरा नम्बरान से की जानी है। तथा तहसीलदार लाड़पुरा के जबाव अनुसार भी स्पष्ट नही है कि वादिनी के कम हुये रकबे की पूर्ति कौनसे खसरा नम्बरान से की जानी है। तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा वादिनी के अड़वा खसरा नम्बरान की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा पेश की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार भी वादिनी के कम हुये रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। अतः वादिनी द्वारा चाहा गया अनुतोष किसी भी प्रकार से दिया जाना संभव नही है।

7- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने तथा प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

❖ सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबंदी संवत् 2034–37 की खाता संख्या 10 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 4 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि कौशल्या पुत्री बिरधीलाल

तथा धन्नी बेवा बिरधीलाल जाति धाकड़ सा. देह के खाते दर्ज थी। जिसके मैट्रिक प्रणाली मे 3.32 हैक्टर दर्ज होने से मुकाबले 3.10 हैक्टर दर्ज होने से 0.22 हैक्टर भूमि की रकबा कमी हो गयी।

☞ परंतु वादिनी द्वारा इस संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि वादिनी के कम हुये रकबे की पूर्ति कौनसे खसरा नम्बरान से किया जाना है। अतः वादिनी अपने दावे को सावित करने मे असमर्थ है।

❖ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के प्रावधाननुसार– **सबूत का भार उस पक्ष पर है जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है।** इसका मतलब यह है कि अगर कोई पक्ष दावा करता है कि कोई निश्चित तथ्य सत्य है, तो उस दावे का समर्थन करने वाले सबूत पेश करना उनकी जिम्मेदारी है ।

☞ अतः वादिनी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत घोषणा, खातेदारी, राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा के तहत अनुतोष चाहा गया। परंतु दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे वादिनी के कम हुये रकबे 0.22 हैक्टर आराजी की पूर्ति किया जाना संभव नही है। अतः वादिनी का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

बउनवान :-
कौशल्या पुत्री विरधीलाल पत्नी पन्नालाल जाति धाकड़, निवासी राजपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 97 /23 — GCMS id : 2023/17
निर्णय दिनांक : 18-07-2025

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभापक श्री हुकमचन्द जैन के वाद आज तारीख 16–06–2025 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, वादिनी का वाद दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करावाई जाकर आज तारीख 18 जुलाई, 2025 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया		प्रतिवादी	रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा